अटल आवास योजना
दिशा–निर्देश

1. प्रस्तावना:

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निवासरत आर्थिक रूप से कमजोर एवं आवासहीन व्यक्तियों को सुलभ सस्ता एवं पक्का आवास उपलब्ध कराना है । योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे या उसके आस–पास जीवन –यापन करने वाले शहरी क्षेत्रों के आवासहीनों को रू. 10 प्रतिदिन अर्थात रू. 300 (तीन सौ प्रतिमाह) की किस्त पर आवास उपलब्ध कराए जावेंगे ।

2. योजना का उद्देश्य :

" अटल आवास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार होगा :–

अ. शहरी क्षेत्रों में तालाब पार पर या तालाबों के किनारे बसी झुग्गी बस्तियों की व्यवस्थित बसाहट ।

ब. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वर्गों के गरीबी रेखा के आस–पास जीवन–यापन करने वाले परिवारों की भावी आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना ।

स. विभिन्न आवासीय कालोनियों में कमजोर वर्गों के लिये आरक्षित भूमि का सम्यक् प्रबंधन ।

3.योजना का लक्ष्य समूह :

शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा के आस–पास जीवन यापन करते हैं, लक्ष्य समूह हैं । जिनके पास उपयुक्त आवास की व्यवस्था नहीं है, उनके लिये यह योजना तैयार की गई है । इनमें भी प्राथमिकता उन्हें दी जायेगी, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं ।

लक्ष्यों के आवंटन में निर्धारित रोस्टर का परिपालन किया जायेगा तथा तीन प्रतिशत आवास, विकलांग व्यक्तियों के लिये आरक्षित किये जायेंगे। यह आरक्षण वर्ग विशेष के लिये निर्धारित मात्रा के अंदर ही समाहित होगा ।

4.हितग्राहियों का चयन:

हितग्राहियों का चयन प्रत्येक नगर हेतु पृथक से किया जावेगा । इस हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्नानुसार किया जावेगा :–

1. कलेक्टर — अध्यक्ष
2. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण — सदस्य सचिव

3.	आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी न. पा./न. पं. (जिले के समस्त नगरीय निकाय)	सदस्य
4.	नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय के प्रतिनिधि जो सहायक संचालक या इनसे उपर स्तर के हो	सदस्य

- जिला शहरी विकास अभिकरण संबंधित नगरीय निकायों के आपसी समन्वय से हितग्राहियों के पहचान करेगी । हितग्राहियों के पहचान के उपरान्त सूची तैयार कर उसके अनुमोदन हेतु संबंधित नगरीय निकाय द्वारा जिला स्तरीय समिति को प्रेषित की जावेगी, जो कि चयनित हितग्राहियों का अनुमोदन करेगी । गरीबी रेखा के नीचे के हितग्राहियों की पहचान का आधार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अधीन सर्वेक्षित सूची को माना जावेगा । हितग्राहियों के चयन में वाल्मे योजना के अनुसार ही आरक्षण का अनुसरण किया जावेगा । अगर किसी वर्ग से उतनी संख्या के हितग्राही उपलब्ध नहीं होंगे तब उसकी पूर्ति अन्य वर्गों से की जावेगी । इस प्रकार आरक्षण रोस्टर के परीक्षण हेतु जिला समिति अधिकृत रहेगी ।

5.आवासों का आबंटन :

सामान्यतः चयनित हितग्राहियों को आवासीय इकाईयों का आबंटन परिवार की महिला सदस्य के नाम से किया जायेगा । कलेक्टर संयुक्त रूप से पति एवं पत्नी के नाम से भी आवास आवंटन कर सकेंगे ।

6. आवासीय इकाई की सीमा :

प्रत्येक आवासीय इकाई में 300 वर्गफुट (10'X30') का भूखंड होगा । जिसमें कम से कम 180 वर्गफुट पर निर्माण कार्य किया जायेगा । बहुमंजिला भवनों में कम से कम 180 वर्गफुट के फ्लैट्स हितग्राही को दिये जायेंगे । सामान्यतः निर्माण कार्य पर 50000 रूपये तथा भूखंड की कीमत व बाह्य विकास कार्य हेतु 10000 रूपये प्रति इकाई, इस तरह एक आवासीय इकाई का कुल मूल्य 60000 रूपये का व्यय निर्धारित होगा । स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए इसमें मामूली फेरबदल हो सकता है, किन्तु कुल मूल्य रू. 60,000 तक ही सीमित रहेगा ।

7.धन की उपलब्धता :

इस योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत अनुदान तथा शेष 50 प्रतिशत ऋण होगा । ऋण राशि रू. 10 प्रतिदिन के आधार पर हितग्राहियों से वसूल की जावेगी ।

8. योजना का कियान्वयन :

योजना का कियान्वयन संबंधित नगरीय निकायों द्वारा किया जायेगा । इस हेतु हितग्राहियों का चयन कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किये जाने के उपरान्त कियान्वयन एजेंसी द्वारा निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा । कियान्वयन एजेंसी ऋण का अंश, हुडको/शासन/अन्य वित्त पोषीय संस्थानों से शासन के गारंटी के अधीन प्राप्त करेगा । आवास गृहों का निर्माण हितग्राही को किश्तों में राशि प्रदान कर या ठेकेदारी प्रथा के जैसा भी कलेक्टर उचित समझे किया जायेगा ।

9. योजना हेतु भूमि की व्यवस्था :

- अटल आवास योजना के तहंत आवश्यक भूमि नगरीय निकाय अपनी योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि से व्यवस्था कर सकेगी । साथ ही प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न आवासीय कालोनियों में ई.डब्ल्यू. एस. हेतु आरक्षित 15 प्रतिशत भूमि का उपयोग इस योजना में किया जा सकगा । जिन शहर में उक्त प्रकार की भूमि उपलब्ध नहीं होगी वहां कियान्वयन एजेंसी द्वारा शासकीय/नजूल भूमि शासन से प्राप्त कर योजना के उपयोग में ली जावेगी । जिन हितग्राहियों को पूर्व में पंडित दीनदयाल आश्रय योजना अथवा पट्टाधृति अधिनियम के अंतर्गत पट्टा प्राप्त हो चुका है उनके लिये उसी स्थान पर या आस-पास आवास बनाकर दिया जा सकता है ।

- नगरीय क्षेत्रों में राज्य शासन द्वारा सरोवर धरोहर योजना लागू की गई है । तालाबों के किनारे हुए अतिक्रमणों व झुग्गी झोपड़ियों की वजह से तालाबों का जीर्णोद्धार, गहरीकरण व विस्तार प्रभावित हो रहा है । अटल आवास योजना में विशेष रूप से नगरों में स्थित तालाबों के आसपास बस गये झुग्गीवासियों के व्यवस्थापन को भी प्राथमिकता दी जावेगी ।

10. नगर निवेश के मानदंड :

नये भवनों का निर्माण एवं पूर्व निर्मित भवनों के उन्नयन के ले-आउट, प्लान का अनुमोदन नगर तथा ग्राम निवेश विभागों के जिला प्रभारी से प्राप्त किया जावेगा ।

11. अन्य शहरी गरीबी उपशमन योजना के साथ समन्वय :

अटल आवास योजना को अन्य शहरी गरीबी उपशमन योजनायें यथा SJSRY एवं NSDP के साथ समन्वित किया जायेगा । NSDP के अंतर्गत राज्य के पास

उपलब्ध राशि का उपयोग पर्यावरण उन्नयन हेतु एवं SJSRY के अंतर्गत उपलब्ध राशि का उपयोग स्वरोजगार योजना खासकर स्व-सहायता योजना की (DWACUA) सदस्य महिलाओं की आय में वृद्धि के लिये किया जा सकता है ।

12 शहरी अधोसंरचना :

इस योजना से विकसित होनें वाली कालोनी में जल प्रदाय, पानी निकासी, विद्युतीकरण आदि सामुदायिक अधोसंरचना के बाह्य विकास कार्य हेतु प्रत्येक आवास लागत की बचत राशि तथा NSDP इत्यादि की राशि का उपयोग किया जाये ।

13 जल प्रदाय योजना :

पेयजल की उपलब्धता हेतु इस योजना की कियान्वयन एजेंसी जिम्मेदार होगी । आवश्यक हो तो, कार्य प्रारंभ करने के पूर्व स्थल पर हैण्डपंप स्थापित किया जावें जिसके लिये राशि नगरीय जल प्रदाय योजना अथवा नगरीय संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जावे ।

14 स्वच्छता एवं सुलभ शौचालय :

शौचालय, इसे योजना का अनिवार्य हिस्सा होगा । छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शौचालय निर्माण को स्वास्थ्यवर्धन की दृष्टि से उल्लेखनीय महत्व दिया गया है । किचन, बाथरूम से ओव्हर फ्लो के निराकरण के लिये नाली का जाल (नेटवर्क) होना चाहिये जो कि नगर की नाली योजना से जुड़ी हो । प्रत्येक आवास में शौचालय की व्यवस्था की जावेगी ।

15. पर्यावरणीय सुधार एवं खुला/हरा-भरा क्षेत्र :

आवासीय क्षेत्र एवं चारों ओर तथा प्रत्येक घर मे वृक्षारोपण एक साथ किया जाना चाहिये । भविष्य में आवासीय परिक्षेत्र के पास हरियाली उपलब्ध हो अतएव वृक्षारोपण भवन समूहों के पास ही किया जाना चाहिये । शहरी वानीकरण के (Urban /Forestry) अधीन यह कार्य संबंधित नगरीय निकायों द्वारा सामुदायिक समितियों के सहयोग से किया जावे ।

16. गैर शासकीय संस्थाओं (NGO) की भागीदारी :

सामुदायिक शौचालय के उपयोग को लोकप्रिय बनाने हेतु इनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है । NGO का चयन राज्य शासन द्वारा समय निर्धारित मापदंड के आधार पर संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जावेगा तथा उसका अनुमोदन जिला समिति द्वारा किया जाये ।

17. मानिटरिंग :

राज्य सरकार के अधिकारी जो अटल आवास योजना के प्रभार में होंगे, नियमित रूप से स्थल भ्रमण करेंगे एवं सुनिश्चित करेंगे कि कार्य का संपादन संतोषप्रद रूप से निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हो रहा है । जिला स्तर पर प्रगति की मासिक समीक्षा जिला समिति की बैठक में की जावेगी । इसी प्रकार जिला स्तरीय एवं स्थानीय निकायों के अधिकारी सघनता पूर्वक कार्यस्थल का दौरा कर इस योजना के प्रत्येक बिन्दु पर निगरानी रखेंगे ।

18. मूल्यांकन :

राज्य सरकार द्वारा अटल आवास योजना का समयबद्ध मूल्यांकन किया जावेगा तथा उपरोक्त जानकारी के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाये जा सकेंगे ।

19. लेखा का संधारण :

- राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार लेखा का संधारण निकाय स्तर पर प्रत्येक संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा । निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण को प्रस्तुत किया जावेगा जिसके आधार पर आगामी किश्तों का निर्गमन किया जा सकेगा । जिला शहरी विकास अभिकरण को यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि संबंधी नगरीय निकाय में अव्यय राशि न्यूनतम हो और उसका दुरूपयोग न किया जाए ।
- अटल आवास योजना के लिये शासन द्वारा विमुक्त की जाने वाली राशि, नगरीय निकायों द्वारा बैंक में पृथक खाता खोलकर रखी जायेगी । उसका परिचालन आयुक्त नगर पालिक निगम अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी (जैसी स्थिति हो) तथा परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जावेगा ।

(विवेक ढाँड)
सचिव
पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग
मंत्रालय–रायपुर